तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
9/1/18	उपस्थित वकील साबिक आदेश दिनांक 28.11.17 की पालना में पत्रावली वास्ते 3,4,6 दिनांक को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20/4/18	बकुलाम कमीशन उप०/P.O. साहब पत्रावली दिनांक 30/4/18 को पेश हो। उपखण्ड	RF 326 23/4/18
30/4/18	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत/वै. में रखा गया है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पेश पर दिनांक 13/6/18 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
13-6-18 राजेश बालधारी LAXMA अभि	पत्रावली के मजमून में पेश हुई। बकुलाम मय पत्रावली उपस्थित। बहस बकुलाम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस बकुलाम पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का तुलनात्मक एवं अपूरणीय क्षति जारी के पक्ष में बनता प्रतीत होता है। अतः दिनांक 24.11.17 का अ०पत्र जारी स्थगन किया जाता है तथा दिनांक 28.11.17 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को नाफिसला तक स्थायी (Confirm) किया जाता है तथा अभिभाषक को नाफिसला पाबन्द किया जाता है कि वो अ०ज०नं. 2669, 2670, 2671, 2672 वाले ग्राम सोंखरी तह०कठूमर की वर्तमान स्थिति अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसलशुदा होकर उठाने बनते।	

Scanned by CamScanner